Gram : UNIVERSITY
Web: www.kanpuruniversity.org
E-mail: csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com

दूरभाष: 0512-2580044
फैक्स: 0512-2582251

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
# CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर-208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./कुसका./ सम्ब./24 /2019 दिनांक :10/05/2019

## सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांकः 09.05.2019) एवं कार्य परिषद से अनुमति की प्रत्याशा में महाराणा प्रताप कालेज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, बैकुण्ठपुर, बिठूर रोड, कानपुर नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 50 (01 यूनिट) सीट्स की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांकः 01.07.2019 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. **शैक्षिक सत्र 2018-19 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सत्र 2018-19 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में इस सत्र से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता एवं निरन्तरता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
4. महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र (Recognition Letter) में अंकित शर्तो तथा एन०सी०टी०ई० के मानकों की निरन्तरता सुनिश्चित करता रहेगा। एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र में यदि किसी समय एन०सी०टी०ई० द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है या मान्यता वापस ली जाती है तो उस स्थिति में महाविद्यालय तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा।
5. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तो का निराकरण करा लिया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. बी०एड० पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा एन०सी०टी०ई०, उ०प्र० शासन, एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में, उ०प्र० शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
10. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
11. **महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय बी०एड० प्रवेश परीक्षा/काउंसिलिंग, शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।**

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव

*प्रतिलिपि:-* निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, महाराणा प्रताप कालेज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, बैकुण्ठपुर, बिठूर रोड, कानपुर नगर।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
4. परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. इन्चार्ज, ई०डी०पी०, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव

Scanned with CamScanner

Gram UNIVERSITY
Web. www.kanpuruniversity.org
E-mail. csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuk...@gmail.com
☎: 0512-2580044
☎: 0512-2582251

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

# CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

Pvt_Affiliation Order_B.Ed._New_2019_Permanent

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./कुसका./ सम्ब./24 /2019 दिनांक :10/05/2019

## सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांकः 09.05.2019) एवं कार्य परिषद से अनुमति की प्रत्याशा में **महाराणा प्रताप कालेज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, बैकुण्ठपुर, बिठूर रोड, कानपुर नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 50 (01 यूनिट)** सीट्स की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **दिनांकः 01.07.2019** से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. **शैक्षिक सत्र 2018–19 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सत्र 2018–19 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में इस सत्र से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।**
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता एवं निरन्तरता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
4. महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र (Recognition Letter) में अंकित शर्तो तथा एन०सी०टी०ई० के मानकों की निरन्तरता सुनिश्चित करता रहेगा। एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र में यदि किसी समय एन०सी०टी०ई० द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है या मान्यता वापस ली जाती है तो उस स्थिति में महाविद्यालय तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा।
5. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तो का निराकरण करा लिया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. बी०एड० पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा एन०सी०टी०ई०, उ०प्र० शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा ... शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता ... कार्यवाही विचारणीय होगी।
10. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
11. **महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश ... की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय बी०एड० प्रवेश परीक्षा/काउसिंलिंग, शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।**

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव

*प्रतिलिपिः*– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, महाराणा प्रताप कालेज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, बैकुण्ठपुर, बिठूर रोड, कानपुर नगर।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
4. परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. इन्चार्ज, ई०डी०पी०, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव

Scanned with CamScanner